24/2/22

प्रकाशदली पेश। अधि प्रार्थिका मुकदमा के प्रार्थना पत्र 07 R11 CPC स्वीकार होने पर मुकदमा खारिज हो जाने के फलस्वरूप अब यह प्रार्थना-पत्र नामंजूर होने पर इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। प्रकाशदली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर किया जाकर मौ एक्ट तकमील मुकदमा कंप्यूटर होकर सादिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)